डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2023/HQ/Admin/RTI-464 **New Delhi: 07.07.2023**

श्री गजेंद्र सिंह पुत्र स्व० श्री राजपाल सिंह,
ग्राम जमाल पुर, परगना सिकंदराबाद,
पोस्ट गुरुकुल मंडी श्याम नगर,
तहसील व जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश
मोबाइल - 9899258399

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: 1. आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 09.06.2023, जो इस कार्यालय में दिनांक 14.06.2023 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त अतिरिक्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 02 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

पत्रांक: एमटीसी / ईन / आरटीआई / मेरठ / वोल्यूम–9 दिनांक: 28.06.2023

जेजीएम / एडमिन (सीपीआईओ)
डीएफसीसीआइएल, न्यू दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आवेदनकर्ता श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह नि0 ग्राम–जमालपुर, परगना–सिकन्द्राबाद, तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर का प्रार्थना पत्र (आरटीआई–464) दिनांक 09.06.2023 (ई–मेल के माध्यम से प्राप्ति दिनांक 16.06.2023)।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न प्रकार है:

क0 सं0	आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	आपके पत्र संख्या 2023 / एच0क्यू0 / एडमिन / आर0टी0आई0 204 दिनांक 23.03.2023 में प्रार्थी को दिये गये जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिये गये जबाब के सापेक्ष में संलग्न पत्रांक एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / भाग–8 दिनांक 21.03.2023 के क्रम संख्या 02 में प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना के जबाब में दी गयी सूचना के अनुसार रेल मंत्रालय / रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश आर0बी0आई0 संख्या 193 / 2009 एवं पत्रांक संख्या E (NG)/ii 2010/RC-5/1 date 11-11-2019 के अनुसार Reference 1,2,3 1-RBE no-99/2010 date 16.07.2010 2- RBE no 120/2010 date 13.08.2010 3- Railway Board letter no E(NG)ii/ 2010/RC-5/1 date 28.09.2010 के दिशा निर्देश है। भारत के राजपत्र 1834 नई दिल्ली शुक्रवार अगस्त 2015 वाद (6) 1937 के अनुसार भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 का 30 की धारा 113 के अनुसार आर0 एफ0 सी0 टी0 एल0ए0आर एक्ट की अनुसूची 1व 2व 3 के अनुश्रण में अवसंरचनात्मक सुविधाओं से सम्बन्धित भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 13 के उपबन्ध लागू किये गये है। अवगत कराया जाये कि उक्त सन्दर्भ संख्या 1 व 2 व 3 में जो 2010 के है वो 2013 के अधिनियम पर किस आधार व किस अधिनियम से लागू किये गये है।	भारत सरकार द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार 2013 (RFCTLARR 2013) के क्रम में रेलवे बोर्ड / रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी डी0एफ0सी0 सी0आई0एल0 परियोजना के लिये पात्रता सारणी का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका पत्रांक संख्या पत्र संख्या 2009 / इन्फ्रा / 3 / 1 / 10 पी0टी0 2 दिनांक 23.05.2015 जो कि डी0एफ0सी0 बेबसाईट के पब्लिक डोमेन लिंक https://dfccil.com/Home/DynemicPages?MenuId=267 पर उपलब्ध है।

2	भारत के राजपत्र 1834 नई दिल्ली शुकवार अगस्त 2015 वाद (6) 1937 के अनुसार भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 का 30 की धारा 113 के अनुसार आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर एक्ट की अनुसूची 2 के कमांक 4 के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब को नौकरी या एक बार में पांच लाख रू0 देने का प्रावधान है, बताया जाये कि उक्त अनूसूची के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब को नौकरी देगें या पांच लाख रू0 देंगे। भारत सरकार रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या 2009/infra/3/1/10 Pt 2 date 23.05.2015 के अनुसार Subject approval of Entitlement matrix for D.F.C.C. project in accordance with new land Acquisition Act 2013 में भारत सरकार/रेलवे बोर्ड द्वारा कोई बदलाव किये गये है। यदि बदलाव किये गये है तो प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।	पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन का भुगतान रेलवे बोर्ड / रेल मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या 2009/infra/3/1/10 Pt2 date 23.05.2015 द्वारा डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना के लिये जारी की गयी पात्रता सारणी एवं भारत सरकार रेल मंत्रालय /रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो के कम में अनुपालन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय/ रेलवे बोर्ड भारत सरकार द्वारा जारी आर बी नं0 193/2019 दिनांक 11.11.2019 में दिये गये दिशा– निर्देशो का अनुपालन करते हुये भारत सरकार रेल मंत्रालय/ रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या 2009/infra/3/1/10 Pt 2 date 23.05.2015 मे दिये गये उपबन्धो का अनुपालन किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
जनसूचना अधिकारी,मेरठ।

प्रतिलिपि–

1. मुख्य महाप्रबन्धक/मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जीएम/एमए/ईसी–III/निगम कार्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायेवाही हेतु प्रेषित।
3. जेजीएम/एमए/ईसी–III/निगम कार्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायेवाही हेतु प्रेषित।